

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर
 क्रमांक:- ई-12/एम/93/2018/918 दिनांक:- 6/9/19

आदेश

निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख (वर्ष 2019-20) अंकित परीक्षा में स्वयंपाठी के रूप में सम्मिलित होने की स्वीकृति निम्न शर्तों के आधार पर प्रदान की जाती है :-

क्र सं	कर्मचारी का नाम व पद	पदस्थापन स्थान	परीक्षा का नाम	बोर्ड/संस्था का नाम जिससे परीक्षा दी जानी है।
1	श्री अमित कुमार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	कक्षा-10	एन.आई.ओ.एस	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
2	श्री सजय कुमार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	बीएससी (प्रथम वर्ष)	वर्धमान खुला विश्वविद्यालय, कोटा।	संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन अजमेर।
3	श्री रामनरेश शर्मा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	आर.एस.सी.आई.टी.	वर्धमान महावीर ओपन विश्वविद्यालय, कोटा	निदेशालय मुख्यालय (परिवार कल्याण)।

1. शिक्षण सस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग-अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरंतर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राज्यसेवक दैनिक राजकीय कार्य संपादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त करदी जायेगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिए सरकार /विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणों से लोकहित/राज्य हित में यह स्वीकृति/अनुमति बिना कोई सूचना के निरस्त की जा सकती है।
11. राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय भार वहन नहीं किया जावेगा।
12. अर्जित योग्यता के आधार पर विभाग किसी प्रकार का लाभ का पद देने हेतु वाध्य नहीं होगा।
13. इन्हे केवल परीक्षा दिवस का ही अवकाश नियमानुसार स्वीकृत किया जायेगा।
14. राज्य सेवा में कोई व्यवधान ना हो।


(मुकुल शर्मा)
 अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
 राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- ई-12/एम/93/2019/

दिनांक :

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारी/कार्यालय।
2. संबंधित कर्मचारीगण।
3. प्रभारी, सर्वर रूम, क.नं. 302, मुख्यालय।
4. आदेश पत्रादली।


अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्थ
राजस्थान जयपुर

देशक(प्रशासन)
स्वास्थ्य सेवार्थ
। जयपुर

6